

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 810/1029/वि/नि/चार/03

रायपुर, दिनांक 23/10/2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा अपने पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 17/467/2002/वि/नि/चार, दिनांक 8 जनवरी, 2003 द्वारा 35 प्रतिशत मंहगाई राहत स्वीकार की गई है । राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि पेंशनरों को प्राप्त हो रही मंहगाई राहत दिनांक 1.8.2003 (माह अगस्त 2003 की पेंशन माह सितम्बर 2003 में देय) से 40 प्रतिशत की दर से स्वीकार की जाये ।

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (*Superannuation*) सेवानिवृत्त (*Retiring*) असमर्थता (*Invailld*) तथा क्षतिपूर्ति (*Compensation*) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (*Compassionate Allowance*) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5.10.76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/10/76/नि-2/चार, दिनांक 27.7.76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि-2/ चार, दिनांक 2.5.77 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (*Commute*) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

5/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उपकोषालय अधिकारियों /पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरान्त पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दुष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- (1) राज्यपाल छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
- (2) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर ।
- (3) निबंधक, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
- (4) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
- (5) सचिव, लोक आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ मानवाधिकार आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (6) निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर ।
- (7) महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
- (8) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (9) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- (10) अवर सचिव छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख /मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय, रायपुर ।
- (11) मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
- (12) समस्त मान्यता प्राप्त संगठन/संघ छत्तीसगढ़ ।
- (13) आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- (14) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
- (15) समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
- (16) समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
- (17) मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई ।
- (18) समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, पेंशन वितरक बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई 4-1/81/नि-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।
- (19) वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
- (20) वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद।
- (21) वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
- (22) वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.

- (23) वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
- (24) वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039.
- (25) वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
- (26) वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
- (27) वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
- (28) वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001.
- (29) वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय चंडीगढ़ 160017.
- (30) वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
- (31) वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
- (32) वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
- (33) वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
- (34) वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
- (35) वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
- (36) वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
- (37) वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
- (38) वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001.
- (39) वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
- (40) वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
- (41) वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101.
- (42) वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून
- (43) वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
- (44) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, पांचवी मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
- (45) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजराज, राजकोट 360001.
- (46) महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
- (47) महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
- (48) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
- (49) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
- (50) प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
- (51) प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
- (52) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039.
- (53) महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
- (54) महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.

- (55) महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
- (56) महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
- (57) महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
- (58) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भूवनेश्वर 751001.
- (59) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
- (60) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट न.4 सेक्टर 5 33 बी चंडीगढ़ 160047.
- (61) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
- (62) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001.
- (63) महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
- (64) महालेखाकार-2(लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
- (65) प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001.
- (66) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
- (67) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
- (68) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.
- (69) वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101.
- (70) संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101.
- (71) महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- (72) प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली ।
- (73) नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (74) नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन नई दिल्ली ।
- (75) संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (76) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को वित्त विभाग के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग